भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1674
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एमजीएनआरईजीएस के तहत पंजीकृत दिव्यांग व्यक्ति

1674. श्रीमती जून मालिया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई भी दिव्यांग व्यक्ति एमजीएनआरईजीएस के तहत काम पाने में समर्थ नहीं था;

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एमजीएनआरईजीएस को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था;

(घ) केंद्र सरकार एमजीएनआरईजीएस/वीबी- जी राम जी के तहत पश्चिम बंगाल राज्य के सभी बकाया का भुगतान किस तिथि तक कर देगी; और

(ङ) एमजीएनआरईजीएस/वीबी- जी राम जी के तहत कुल कितने श्रमिक आधार आधारित भुगतान प्रणाली से नहीं जुड़ सके?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने पर वैकल्पिक विकल्प प्रदान करता है। योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पश्चिम बंगाल में पंजीकृत दिव्यांगजनों और रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
2021-22	409149	71196

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

यहां यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए दिनांक 09.03.2022 से पश्चिम बंगाल राज्य के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी करना रोक दिया गया था।

हालांकि, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 18.06.2025 के आदेश के अनुपालन में, इस विभाग ने दिनांक 06.12.2025 के आदेश जारी किए हैं , जिसके तहत पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन को फिर से शुरू किया गया है, जो राज्य में योजना के प्रभावी और वैध कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष शर्तों के अनिवार्य अनुपालन के अधीन है। तदनुसार, राज्य सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए श्रम बजट प्रस्ताव महात्मा गांधी नरेगा योजना की अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है , जो अभी प्रतीक्षित है।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार , पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित कुल लंबित देनदारी (दिनांक 08.03.2022 तक की स्थिति अनुसार) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें ₹1457.22 करोड़ मजदूरी घटक के तहत, ₹1607.68 करोड़ सामग्री घटक के तहत और ₹17.62 करोड़ प्रशासनिक घटक के तहत शामिल हैं। इस देयता की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।

(ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता नंबरों में बार-बार परिवर्तन और बाद में अद्यतन न होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए, आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया। यह 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

एपीबीएस योजना के तहत मजदूरी वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने और लाभार्थियों के खाते में तेजी से मजदूरी जमा करने में मदद करता है। आधार प्रमाणीकरण हेराफेरी और भ्रष्टाचार को भी कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सत्यापित पहचान वाले केवल वैध लाभार्थियों को ही मजदूरी मिले। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में विफलता की स्थिति में , भुगतान करने का एक वैकल्पिक मार्ग खाता-आधारित भुगतान के माध्यम से उपलब्ध है जो राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह है। देश में अब तक 12.17 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.67% का आधार सीडिंग और 98.35% श्रमिकों के लिए एपीबीएस में परिवर्तन पहले ही पूरा हो चुका है। नरेगासॉफ्ट में 100% आधार सीडिंग और एपीबीएस में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है।